सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

की

उत्पादन परिणाम निगरानी रूपरेखा

(केन्द्रीय क्षेत्र एवं केन्द्र प्रायोजित ₹ 500 करोड़ से कम लागत वाली योजना हेतु)

OUTPUT OUTCOME MONITORING

FRAMEWORK

(For Central Sector and Centrally Sponsored Schemes costing less than ₹500 crore)

OF

MINISTRY OF FINANCE

2021-2022

विषय सूची

क्रमांक संख्या	विभाग	पृष्ठ संख्या
1.	मांग **संख्या 29 - आर्थिक** कार्य विभाग	
(i)	योजना अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (सीएस)	1
(ii)	भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकरण सहायता (सीएस)	1
2.	मांग संख्या **31** - वित्तीय सेवाएं विभाग	
(i)	इंडोस्विस कोआपरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान	2
(ii)	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरुकता) (सीएस)	2
(iii)	प्रधानमंत्री वय वन्दना योजना (पीएमवीवीवाई)	2
(iv)	वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई): वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए एलआईसी को सहायता	3
(v)	स्टैण्ड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी योजना - सीजीएसएसआई (एनसीजीटीसी के माध्यम से)	4
(vi)	अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान (सीएस)	4
(vii)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी में अभिदान	4

आर्थिक कार्य विभाग

(i) योजना अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण (सीएस)*

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2021-22	उत्पाद 2021-22			परिणाम 2021-22		
	उत्पादन	संकेतक	लक्ष्य	परिणाम	संकेतक	लक्ष्य
250.00	1. पीपीपी के माध्यम से अवसंरचना की वित्तीय/वाणिज्यिक अर्थक्षमता में सुधार करना।	1.1 अर्थक्षमता अंतराल वित्तपोषण के रूप में कुल अनुमोदन राशि (ईआई/ईसी द्वारा अंतिम अनुमोदन के अनुसार परियोजनाओं की कुल संख्या (करोड़ रुपये) 1.2 वीजीएफ के लिए ईआई/ईसी द्वारा दिए गए अंतिम अनुमोदन के अनुसार परियोजनाओं की टीपीसी (करोड़ रुपये में)	...	1. वर्धित निजी क्षेत्र सहभागिता और अवसंरचना	1.1 (वीजीएफ को छोड़कर) सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में कुल निवल निजी निवेश (अनुमानित) (करोड़ रुपए) 1.2 पिछले वर्ष की तुलना में सहायता-प्राप्त परियोजनाओं में निजी निवेश में प्रतिशत वृद्धि (अनुमानित)	...
		1.3 कुल वीजीएफ संवितरित (करोड़ रुपये) 1.4 उन परियोजनाओं की संख्या जिनके लिए वीजीएफ संवितरित है।				

** मांग आधारित योजना होने के कारण, ईआई/ईसी द्वारा अनुमोदन का वार्षिक लक्ष्य, परियोजनाओं की त्रैमासिक और क्षेत्र-वार गोलबंदी सही भविष्यवाणी नहीं कर सकती है।*

(ii) भारतीय कंपनियों के लिए ब्याज समकारी सहायता (सीएस)

225.00	1. विदेशी सरकार, या विदेशी सरकार के स्वामित्व/नियंत्रित इकाई के लिए रियायती ऋण प्रावधान और प्रति गारंटी में सुधार हुआ	1.1 सीएफएस के तहत वित्तपोषण के लिए अनुमोदित नई परियोजनाओं की संख्या 1.2 स्वीकृत परियोजनाओं का कुल मूल्य (मिलियन अमरीकी डालर में) 1.3 भारतीय इकाई द्वारा निष्पादित परियोजिनाओं की संख्या	कोई भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत की सामरिक रूचि को ध्यान में रखते हुए विदेशों में परियोजनाओं की पहचान/अनुशंसा की जाता है।	1. भारत के रणनीतिक राजनीतिक और आर्थिक हित में सुधार हुआ 2. विदेशों में परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं	1.1 सीएफएस (संचयी)के माध्यम से समर्थित देशों की कुल संख्या 1.2 नए समर्थित देशों की संख्या (वर्षानुवर्ष) 1.3 नई परियोजनाओं की संख्या समर्थित (वर्षानुवर्ष) 1.4 समर्थित परियोजनाओं के मूल्य में परिवर्तन (अमरीकी डालर में) वर्षानुवर्ष) 2.1 अनुबंध की संख्या जो भारतीय कंपनियां योजना के तहत आने वाली परियोजाओं में शामिल होने में सफल रहीं।	कोई भी विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि भारत के सामरिक हित को ध्यान में रखते विदेशों में परियोजनाओं की पहचान/अनुशंसा की जाती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग

(i) इंडो-स्विस कोआपरेशन-VI के अंतर्गत दावों के निपटान के लिए नाबार्ड को अनुदान

वित्तीय परिव्यय (करोड़ रुपये में) 2021-22	प्रतिफल 2021-22			परिणाम 2021-22		
	प्रतिफल	संकेतक (ओं)	लक्ष्य 2021-22	परिणाम	संकेतक(ओं)	लक्ष्य 2021-22
0.84	नाबार्ड के द्वारा गैर-कृषि क्षेत्र के लिए वित्तपोषण ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में गैर-कृषि कार्यकलापों के लिए बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण के प्रवाह में वृद्धि।	नाबार्ड के दावों (प्रतिशतता में) के अनुरूप जारी राशि की प्रतिशतता।	लगभग 100%	आस्ति सृजन तथा पूंजी निर्माण के माध्यम से गैर-कृषि को बढ़ावा।	परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण गैर-कृषि क्षेत्र ऋण के प्रति विदेशी प्रशासन को भारत सरकार से पुनर्भुगतान/प्रतिबद्धता को कवर करने के लिए विशेष निधि से नाबार्ड को पुनर्वित्त राशि जारी करना।	0.84 करोड़ रुपए परिणाम को केवल वित्तीय संदर्भों में मापा जा सकता है।
(ii) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (प्रचार-प्रसार तथा जागरुकता) (सीएस)						
5.00	पीएमजेजेबीवाई तथा पीएमएसबीवाई के अंतर्गत अभिदाताओं के आधार को बढ़ाने के लिए पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के बारे में जागरुकता सृजित करना।	शून्य	इसके लिए कोई संख्या-सूचक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।	योजनाओं के अंतर्गत सार्वभौमिक बीमा कवरेज तथा त्वरित दावा निपटान।	इन सूक्ष्म बीमा के अंतर्गत अभिदाताओं के आधार में वृद्धि बीमा के विस्तार और सामाजिक सुरक्षा को दर्शाती है।	5.00 करोड़ रुपए चूंकि यह प्रावधान जागरूकता सृजन के लिए निर्धारित किया गया है और योजनाएं मांग आधारित हैं अतः कोई संख्यावाचक लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते।
(iii) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) :						
345.02	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों का कवरेज।	मासिक पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या त्रैमासिक पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या छमाही पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या वार्षिक पेंशन योजना के विकल्प का चयन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या	98,500 18,000 5,500 53,000	प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत संवितरित राशि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की कवरेज में वृद्धि सुनिश्चित प्रतिफल में कमी का वहन सरकार द्वारा किया जाता है।	पेंशन भुगतान के लिए एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रुपए में) मृत्यु लाभ के लिए एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रुपए में) योजना से समय से पहले बाहर निकलने के लिए एलआईसी द्वारा संवितरित राशि (करोड़ रुपए में) प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों में प्रतिशत वृद्धि	4060 करोड़ रुपए 610 करोड़ रुपए 26 करोड़ रुपए 9.38%

** *यह योजना अभिदान के लिए मार्च, 2023 तक खुली है; इसके पश्चात् नामांकन की अनुमति नहीं दी जाएगी।*

(iv)वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) : वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन योजना के लिए एलआईसी को ब्याज सहायता						
65.00*	वीपीबीवाई के सभी अभिदाताओं को समय पर संवितरण	वर्ष 2020-21 के दौरान दिनांक 31.3.2020 की स्थिति के अनुसार अभिदाताओं की संख्या (वीपीबीवाई-2003: 2,20,890; वीपीबीवाई-2014: 2,37,976)। (योजना में मृत्यु/अभ्यर्पण अथवा योजना से वाहन निकलने के कारण इसे बंद करने की व्यवस्था है।	**	एलआईसी द्वारा सृजित प्रतिफल की वास्तविक दर तथा गारंटीयुक्त प्रतिफल दर *(9%)* के बीच कोई अंतर होने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को निधियां उपलब्ध कराने से वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना (वीपीबीवाई) के सभी अभिदाताओं को शत-प्रतिशत प्रतिफल प्राप्त होने के कारण वृद्धावस्था सुरक्षा।	योजनाओं के अंतर्गत अभिदाताओं को गारंटीयुक्त प्रतिफल जारी करना।	एलआईसी को अनुमानतः 15 करोड़ रुपए तक की राशि जारी करना।

* *बजट अनुमान प्रस्तावित*

** *वरिष्ठ-पेंशन-बीमा-योजना (वीपीबीवाई)-2003 और वीपीबीवाई-2014 सीमित अवधि वाली योजनाएं हैं, अतः इन योजनाओं के अंतर्गत और नामांकन नहीं हो सकते। तथापि, इन योजनाओं के चालू रहने के दौरान बेची गई पालिसी के संबंध में योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा घोषित 9% के गारंटीयुक्त प्रतिफल की प्रतिबद्धता के अनुसार सेवाएं उपलब्ध होती रहेंगी। इस प्रकार इन योजनाओं के संबंध में कोई संख्यासूचक/ आगामी लक्ष्य का आवंटन नहीं किया गया है;*

*** *वीपीबीआई-2003 और वीपीबीवाई-2014 सीमित अवधि की योजनाएं हैं। अतः योजनाओं के अंतर्गत और नामांकन संभव नहीं हैं। तथापि, सरकार वीपीबीवाई के सभी मौजूदा अभिदाताओं को 100% गारंटीयुक्त प्रतिफल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।*

(v) स्टैण्ड-अप इंडिया के लिए ऋण गारंटी योजना - सीजीएसएसआई (एनसीजीटीसी के माध्यम से)						
100 करोड़ रुपए (प्रस्तावित)	ऐसे ऋणों को गारंटी कवर प्रदान करके संपार्श्विक मुक्त ऋण को बढ़ावा देना ताकि सदस्य उधारदात्री संस्थाओं का ऋण जोखिम कम हो	योजना के अंतर्गत गारंटी दिए जाने वाले ऋण खातों की संचयी संख्या	43,200	स्टैण्ड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) के अंतर्गत ग्रीनफील्ड परियोजनाएं स्थापित करने के लिए अ.जा./ अ.ज.जा. तथा महिला उद्यमियों को 10 लाख रुपए से 100 लाख रुपए के बीच के ऋण की स्वीकृति में वृद्धि	वित्तीय वर्ष 2021-22 में एसयूपीआई के अंतर्गत स्वीकृत संपार्श्विक मुक्त ऋणों की संख्या	7,700
(vi) अटल पेंशन योजना में सरकार का सह-अंशदान (सीएस)						
150	एपीवाई सेवा प्रदाताओं (एसपी) को प्रोत्साहन	एपीवाई एसपी के प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत राशि	मांग आधार पर सहमत	एपीवाई में शामिल होने वाले अभिदाताओं को वृद्धावस्था सुरक्षा	वास्तविक अभिदान के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित अभिदाताओं की कुल संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें प्रोत्साहन दावों के प्रति भुगतान शामिल है तथा योजना मांग आधारित है
3 करोड़	एपीवाई के अंतर्गत प्रचार-प्रसार संबंधी अभियान	प्रचार-प्रसार संबंधी आयोजित अभियानों की संख्या	वर्ष के दौरान निर्धारित अभियानों की संख्या	बेहतर जागरूकता से अधिक कवरेज तथा बेहतर निरंतरता स्तर प्राप्त होंगे।	वास्तविक अभिदान के अनुसार एपीवाई के अंतर्गत लाभान्वित अभिदाताओं की कुल संख्या	लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते क्योंकि इसमें प्रोत्साहन दावों के प्रति भुगतान शामिल है तथा योजना मांग आधारित है
(vii) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की शेयर पूंजी में अभिदान						
100	जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) की तुलना में पूंजी को बनाए रखना	% सीआरएआर	15%	ऋण देयताओं को पूरा करना	देयतापूर्ण ऋणों का %	100%

INDEX

Sl.No.	Departments	Page No.
1.	**Demand No. 29-Department of Economic Affairs**	
(i)	Viability Gap Funding (CS)	7
(ii)	Interest Equalisation Support for Indian Companies (CS)	7
2.	**Demand No. 31-Department of Financial Services**	
(i)	Grants to NABARD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation-VI	8
(ii)	Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (Publicity and Awareness) (CS)	8
(iii)	Pradhan Mantri Vaya Vandan Yojana (PMVVY)	8
(iv)	Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY): Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens	9
(v)	Credit Guarantee Scheme for Stand-Up India – CGSSI (through NCGTC)	10
(vi)	Government Co-contribution to Atal Pension Yojana (CS)	10
(vii)	Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)	10

(i) Viability Gap Funding (CS)*

Financial Outlay (Rs. in Cr.) 2021-22	OUTPUT 2021-22			OUTCOME 2021-22		
	Output	Indicator (s)	Target	Outcome	Indicator (s)	Target
250.00	1. Improve financial/ commercial viability of infrastructure projects through PPP	1.1 Total number of Projects accorded Final approval by EI/EC for VGF 1.2. TPC of Projects accorded Final approval by EI/EC for VGF (in Rs. Cr) 1.3. Total VGF disbursed (in Rs. Cr) 1.4 Number of projects for which VGF is disbursed	...	1.Improved Private Sector participation in infrastructure	2.1 Total Net Private investment in supported projects (excluding VGF) (in Rs. Cr) 2.2 Percentage increase in private investment in supported projects (estimated) as compared to the previous year	...

** Being a demand-based scheme, annual target of approval by EI/EC, quarterly and sector-wise breakup of projects cannot be predicted accurately.*

(ii) Interest Equalisation Support for Indian Companies (CS)

225.00	1. Improved concessional loan provision and counter guarantee to foreign govt, or foreign govt owned/controlled entity	1.1 No. of new projectsapproved for financing under CFS 1.2.Total worth of projects approved (USD Mn) 1.3.Number of projects executed by Indian entity	No Specific target can be fixed as the projects abroad are identified / re-commended keeping in view the strategic interest of India.	1.Improved strategic, political and economic interests of India 2.To encourage Indian companies to implement projects in foreign countries	1.1.Total No of countriessupported through CFS (cumulative) 1.2.Number of newcountries supported (YoY) 1.3.Number of new projects supported (YoY) 1.4. Change in worth of projects supported (USD) (YoY) 2.1 No. of contracts whichIndian companies succeed in getting in projects covered under the Scheme	No Specific target can be fixed as the projects abroad are identified/ recommended, keeping in view the strategic interest of India.

(i) Grants to NABARAD to settle the claims under Indo-Swiss Cooperation -VI

Financial Outlay (Rs. In Cr.) 2021-22	OUTPUTS 2021-22			OUTCOME 2021-22		
	Output	Indicator (s)	Target 2021-22	Outcome	Indicator (s)	Target 2021-22
0.84	Refinance by NABARD for non-farm sector so as to increase the flow of credit by banks for non-farm activities in rural areas.	Percentage of amount released as claims to NABARD (in %)	Around 100%	Promotion of non-farm sector, through asset creation and capital formation	Release of refinance amount to NABARD from a Special Fund to cover repayments/ commitments due from GoI to the foreign administration against the Rural Non Farm Sector credit under the project.	Rs. 0.84 cr. Outcomes measurable only in financial terms.
(ii) Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (Publicity and Awareness) (CS)						
5.00	Creation of awareness about PMJJBY and PMSBY for augmentation of subscriber base under PMJJBY and PMSBY	NIL	No numerical targets can be set for this.	Universal insurance coverage and prompt claims settlement under the schemes.	Increase in the subscriber base under these microinsurance schemes, indicating increased insurance penetration and social security.	Rs. 5.00 cr. No numerical targets can be set as the provision is for awareness generation and the schemes are demand driven.
(iii) Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY) :						
345.02	Coverage of senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana	No. of Senior Citizens opting for the monthly pension plan (Numbers)	98,500	Amount disbursed under PM Vaya Vandana Yojana	Amount Disbursed by LIC for Pension Payments(In Rs Cr)	4060 Cr
		No. of Senior Citizens opting for the quarterly pension plan (Numbers)	18,000	Increased Coverage of senior citizens under PMVaya Vandana Yojana	Amount Disbursed by LIC for Death Benefits(In Rs Cr)	610 Cr
		No. of Senior Citizens opting for the half yearly pension plan (Numbers)	5,500	Shortfall from the assured return borne by the Government	Amount Disbursed by LIC for pre-mature exit from the scheme (In Rs Cr)	26 Cr
		No. of Senior Citizens opting for the annual pension plan (Numbers)	53,000		% increase in senior citizens under PM Vaya Vandana Yojana	9.38%

*** Scheme is open for subscription up to 31st March, 2023; No further enrolment will be allowed thereafter*

(iv) Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY): Interest subsidy to LIC for Pension Plan for Senior Citizens						
65.00*	Timely disbursement to 100% subscribers of VPBY	Number of subscribers (VPBY -2003: 2,20,890; VPBY-2014: 2,37,976) as on 31.03.2020 covered during 2020-21. (Scheme has feature of depletion on account of death/surrender or exit from the scheme)	**	Old age security due to 100% guaranteed return to all Varistha Pension Bima Yojana (VPBY) subscribers by providing funds to Life Insurance Corporation of India (LIC), in case of any gap between the actual rate of return generated by the LIC and the guaranteed rate of return (9%).	Release of guaranteed return to subscribers under the schemes.	Anticipated release to the extent of 65 cr. to LIC of India.

* *BE 2021-22 proposed*

** *Varishtha Pension Bima Yojana (VPBY)-2003 and VPBY-2014 are close ended schemes so no further enrolment can take place under these schemes. However, policies sold during the currency of these schemes are being serviced as per the commitment of guaranteed 9% return announced by the Government under the schemes. As such, no numerical / further target has been allocated for these schemes;*

*** *VPBY-2003 and VPBY-2014 are close ended. Hence no further enrolment is possible under the schemes. However, Government is committed to ensure 100% guaranteed return to all existing VPBY subscribers.*

(v) Credit Guarantee Scheme for Stand-Up India – CGSSI (through NCGTC)						
Rs.100 Crore (proposed)	To encourage collateral free lending by way of providing guarantee cover to such loans thereby reducing the Credit Risk of the Member Lending Institutions	Cumulative number of loan accounts to be guaranteed under the scheme	43,200	Increase in sanction of credit/ loan between Rs. 10 lakh to 100 lakh) to SC/ST and women entrepreneurs for setting up greenfield projects under Stand Up India Scheme (SUPI).	Collateral free access enabled - number of loans to be sanctioned under SUPI in FY 2021-22.	7,700
(vi) Government Co-contribution to Atal Pension Yojana (CS)						
150	Incentive to APY Service providers (SPs)	Amountsanctioned for incentive to APY SPs	Demand DrivenAgreed	Old age security to the subscribers who join APY.	Total no. of subscribers benefitted under APY, as per actual subscription.	Targets cannot be fixed as it involves payment against incentives claims and subscription under the scheme is demand driven.
3 Cr.	Promotional Campaign under APY	Number of Promotional campaigns organized	Number of campaigns decided during course of year	Better awareness would result in more coverage and better persistency levels.	Total no. of subscribers benefitted under APY, as per actual subscription.	Targets cannot be fixed as it involves payment against incentives claims and subscription under the scheme is demand driven.
(vii) Subscription to the Share Capital of Industrial Finance Corporation of India (IFCI)						
100	Maintaining Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR)	% CRAR	15%	Servicing of debt obligation	% of debt serviced	100%